

रिताय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकर (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) National Highways Authority of India (Ministry of Road Transport & Highways, Government Of India) परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जयपुर/Project Implementation Unit, Jaipur डी-148, आर. एस.ई.बी. सब-स्टेशन के पीछे, वैशाली नगर, जयपुर-302021 D-148, Behind RSEB Sub-Satation, Vaishali Nagar, Jaipur-302021 दूरभाष / Phone : 91-141 - 4026465, ई-मेल /E-mail : jai@nhai.org



No. NHAI/JPR/M-D/NH-148/2025/ 10 3 4-

Date: 11.06.2025

सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण

विषय:—Permission for laying of HDPE Pipe crossing of 11KV Electric Line at Km 61+789.50 crossing NH-52 (Jaipur to Tonk Road) at village-Gunsi, Tehsil-Niwai, Distt. Tonk State-Rajasthan for JDA Jaipur.

Ref:- PHED, Div. Niwai letter dated 15.05.2024 received in this office on dated 22.05.2025

महादेय,

It is to inform all concern that AEN, PHED vide letter cited under ref. has submitted a proposal for the subject work. Further, Regional office NHAI Jaipur vide letter dated 25.10.2024 has directed PIU's to put out the application of Public and Industrial Utility Services along and across National Highway in the public domain for 30-days for seeking comments.

सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि ए.ई.एन., पी.एच.ई.डी. ने संदर्भ के तहत उद्धृत पत्र के माध्यम से विषयगत कार्य के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, क्षेत्रीय कार्यालय एनएचएआई जयपुर ने दिनांक 25.10.2024 के पत्र के माध्यम से पीआईयू को राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ—साथ सार्वजनिक और औद्योगिक उपयोगिता सेवाओं के आवेदन को टिप्पणियां मांगने के लिए 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में डालने का निर्देश दिया है।

2. As per para-4 of Ministry Circular No. RW/NH-33044/29/2015S&R(R) dated 22.11.2016 "The application shall be put out in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest)"

2. मंत्रालय के परिपत्र संख्या RW/NH-33044/29/2015S&R(R) दिनांक 22.11.2016 के पैरा–4 के अनुसार, दावे और आपत्तियां मांगने के लिए आवेदन को 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा। (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित के आधार पर)

In view of above, before approval of the Competent Authority, the comments/objections of affected public are hereby invited with reference to the Ministry's Circular dated 22.11.2016 for grant of NOC for laying of HDPE Pipe crossing of 11KV Electric Line at Km 61+789.50 crossing NH-52 (Jaipur to Tonk Road) at village-Gunsi, Tehsil-Niwai, Distt. Tonk State-Rajasthan for JDA Jaipur. The objections/comments may be addressed to the below mentioned address, 30 days from date of uploading on portal, beyond due date, no comments/objections will be accepted.

मुख्यालेयः जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075 : Corporate Office: G-5 & 6, Sector-10, Dwarka; New Delhi-110075 : उपरोक्त के मद्देनजर, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पहले, राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग–52 जयपुर–टोंक–देवली खण्ड के किमी 61+789.50 पर गांव–गुन्सी, तहसील–निवाई, जिला–टोंक, राज्य–राजस्थान में 11 केवी इलैक्ट्रिक लाईन, के क्रॉसिंग की अनुमति का प्रस्ताव के लिए मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के संदर्भ में प्रभावित जनता की टिप्पणियां/आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। अनुमति प्रस्ताव आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ नीचे दिए गए पते पर, पोर्टल पर अपलोड होने की तारीख से 30 दिन के अन्दर भेजी जा सकती हैं, नियत तिथि के बाद कोई टिप्पणी/आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

> भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई—जयपुर डी—148, आरएसईबी सब स्टेश्वान के पीछे, वैशाली नगर जयपुर(राज.)—302021 Phone: 91-141-4026465, E-mail: Jai@nhai.org

भाराराप्रा, पकाई—जयपुर

Copy to:

- 1. Web Admn., NHAI, HQ, New Delhi for uploading in NHAI's website [web-admin@nhai.org]
- 2. Director, NIC, New Delhi for uploading in Ministry's website [Rahul.sh@nic.in]
- 3. Regional Officer, NHAI Jaipur for information please.